न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 223/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2017/ 00043)

1. राजेन्द्रसिह पुत्र नोबतराम जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ जिला चूरू।
2. भरतसिह पुत्र नोबतराम जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ जिला चूरू।
3. महावीर पुत्र नोबतराम जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ जिला चूरू।
4. मनभर पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ जिला चूरू।
5. पवन पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ जिला चूरू।
6. सरोज पत्नी बजरंग जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ जिला चूरू।
7. प्रवीण पुत्र स्व. बजरंग जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ जिला चूरू।
8. अमीत पुत्र स्व.बजरंग जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बरजी बेवा सुबेसिह जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ जिला चूरू।
2. सुरतसिह पुत्र सुबेसिह जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ जिला चूरू।
3. राजेश कुमार पुत्र सुबेसिह जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ जिला चूरू।
4. सुरजपाल पुत्र सुबेसिह जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ जिला चूरू।
5. जयवीर पुत्र सुबेसिह जाति जाट निवासी कालरी तहसील राजगढ जिला चूरू।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार राजगढ जिला चूरू।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः
1. श्री मेधाराम गोदारा – अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री नरसाराम जाखड़ – रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय दिनांकः 31–08–2021

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजगढ (चूरू) के निर्णय दिनांक 21--12–2016 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट बरजी वगैरह ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खं. नं. 439 तादादी 2.8500 हैक्टैयर वाके रोही मौजा कालरी तहसील राजगढ में स्थित है, यह विवादित कुषिभूमि है। खं. नं. 439 के उतरी तरफ चिपता हुआ व पूर्वी तरफ कटौनी रास्ता के बाद अप्रार्थीगण के खातेदारी की कृषिभूमि स्थित है तथा उक्त खेतो के बीच में कोई पुख्ता सीमा चिन्ह नही है जिस कारण वर वक्त काश्त पर सीमा विवाद रहता है। अतः कृषि भूमि खं. नं. 439 तादादी 2.8500 हैक्टैयर वाके रोही मोजा कालरी तहसील राजगढ की पुख्ता सीमा चिन्ह से पैमाईश करवाई जाकर चारो और की सीमाओ की पुख्ता निशानदेही दी जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह यानि पत्थगढी करवाने के आदेश प्रदान करे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 21.12.2016 द्वारा खं. नं. 439 तादादी 2.8500 हेक्टैयर वाके रोही मौजा कालरी तहसील राजगढ की पुनः पैमाइश की जाकर पत्थरगढी करने के आदेश दिये, उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए कहा कि अपीलान्ट की कृषि भूमि के खसरा नं. 438, 441, 442 व रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि के खसरा नं. 439 है व रास्ते का खसरा नं. 440 है, अपीलान्ट के खसरा नं.438 रेस्पोडेन्ट के खसरा के चिपता उतर दिशा मे है, तथा खसरा नं. 441,442 रास्ते के खसरे के बाद चिपता खसरा है जिस पर दोनो पक्षकारान व गांव के लोग खसरा नं. 440 का प्रयोग करते है यानी अपने खेतो मे आते जाते है। यह बड़ा खसरा

अति.समागीय आयुक्त
बीकानेर

है, तथा रास्ता भी बड़ा है जो 75 वर्ष पुराना है। सिविल न्यायाधीश राजगढ ने अपने आदेश दिनांक 13.7.15 द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर उभय पक्ष को पाबद किया कि मौका कमीश्नर की रिपोर्ट के अनुसार विवादित रास्ते की यथास्थिति बनाये रखे। सिविल न्यायालय द्वारा यथा स्थिति के आदेश के बाद रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 6.8.15 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 पेश कर पत्थर गढी करवाने का किया। उपखण्ड अधिकारी ने अपीलान्ट को सुना ही नही बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया। पत्थर गढी करने का आदेश तहसीलदार को होता है, उपखण्ड अधिकारी लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर नही होता है। पत्थर गढी कराने से खसरा नं. 440 की भूमि प्रभावित होती है। अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियाद पेश की है तथा धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र अलग पेश किया गया है । अतः अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुवे अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RLW 2011 पृष्ठ 383, 2000 (2) CIVIL COURT CASES पृष्ठ 84, RRD 1998 पृष्ठ 319, RRD 1994 पृष्ठ 384, 2016 (2) CJ (CIV) (RAJ) पृष्ठ 870, 2011 (1) DNJ पृष्ठ 45, 2017 (3) DNJ पृष्ठ 1361, का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश कर बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमो के अन्तर्गत ही पत्थरगढी का आदेश दिया गया है। अदालत मातहत के संमक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने खातेदारी खेत खं.नं. 439 रकबा 2.8500 हेक्टैयर ग्राम कालरी के लिए पत्थर गढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अदातलत मातहत ने अपीलान्ट एवं तहसीलदार राजगढ से जवाब लेने एवं रेस्पोडेन्टान से साक्ष्य लेकर फिर विधि सम्मत आदेश प्रदान किया था। प्रत्येक खातेदार को कानूनी अधिकार हासिल है कि वह अपने खातेदारी खेत के चारो तरफ पत्थरगढी करा सके इससे किसी अन्य को कोई रूकावत करने का अधिकार नही होने के कारण अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया कानून सही है। अपीलान्ट को अपील प्रस्तुंत करने की कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है क्योकि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी खेत की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान किया है अन्य किसी

(1)

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खातेदार को Distrabe नही किया गया है। रोही मौजा कालरी के खं. न. 440 गैर मुमकिन रास्ता का रकबा होने के कारण सिविल न्यायालय द्वारा इसी खसरा को पाबन्द करने का आदेश प्रदान किया गया है। खसरा नं. 439 के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई आदेश नही है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील निरस्त की जावे।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियो एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया। प्रकरण में मियाद अधिनियम की धारा 5 पर विचार किया जाता हैः–

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 21.12.2016 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 06.06.2017 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 12.05.2017 को हुई। रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के विरूद्व काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश दिये जाते है।
2. प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा अपने निर्णय दिनाक 21.12.2016 से रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि खं. नं. 439 तादादी 2.8500 हैक्टैयर ग्राम ग्राम कालरी तहसील राजगढ के पुन पैमाईश कर पत्थरगढी करने का आदेश दिये गये है। अपीलान्ट की अपील में मुख्य आपत्ति यह है कि एक सिविल वाद सं. 25/2015 विचाराधीन था जिसमें खं. नं. 440 में रास्ते के संबध में यथास्थिति बनाये रखने की निषेधाज्ञा पारित की गई है के चलते अपीलाधीन आदेश के पारित किये गये। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हे सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट को पक्षकार बनाया गया । उन्हे तलब भी किया गया उनकी ओर से जरिये

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वकील जवाव भी प्रस्तुत किया गया परन्तु दिनाक 21.12.2016 को रेस्पोडेन्ट की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि अप्रार्थी सं. 1 ता 6 के खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहते अतः उन्हे इनका नाम हटाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाव प्रस्तुत करने अथवा उस पर वहस करने का अवसर नही दिया गया वल्कि इसी दिन 21.12.2016 को ही उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुवे मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एव 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया गया। जिसमें खं. नं. 439 कें संदर्भ में आदेश पारित किये गये है जबकि चिपते हुवे खं. नं. 440 के काश्तकार पैमाईश एवं पत्थरगढी में किस प्रकार हितबद्व पक्षकार नही है यह स्पष्ट नही होता खं. नं. 439 के चिपते खं. नं. 440 में आवागमन हेतु जो रास्ता उपयोग में लिया जाना अंकित है के संदर्भ मे माननीय सिविल न्यायालय में प्रकरण भी विचाराधीन है जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नही किया।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 21–12–2016 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुवे एवं सिविल न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुवे पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहै। निर्णय आज दिनांक 31–08–2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर